सख्या:-76/2022/001-157आ0-23-5-22-19(भवन)/2021

प्रेषक,

प्रभुनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0),
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ, उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 31 अक्टूबर, 2022**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद बागपत के 03 कार्यों हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, लखनऊ, बजट 'ख' वर्ग के पत्र सं0-701बीजीबी/341बीजीबी/पूल्ड आवास/उ0प्र0 पत्र(चा0 कार्य)/2022-23, दिनांक 27.09.2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान सं0-55 के पूंजीलेखा मद के अन्तर्गत जनपद बागपत 03 कार्यों हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता रू0 580.50 लाख में से **रू0 80.00 लाख (रू0 अस्सी लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	मूल/ पुनरीक्षित स्वीकृत धनराशि	टेंडर के पश्चात बचत की धनराशि	आवंटन हेतु कुल धनराशि (4 - 5)	पूर्व में आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि (6 - 7)	मुख्यालय द्वारा संस्तुत/ निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					(धनराशि लाख रू0 में)			
1	42/2019/124आ0/23-5-19-13(भवन)ईजी/2018टीसी, दिनांक 31.07.2019 एवं 62/2020/218आ0/23-5-20-13(भवन)/2018टीसी, दिनांक 05.10.2020 एवं 90/2021/198आ0/23-5-21-13(भवन)/2018टीसी, दिनांक 19.08.2021 एवं 26/2022/92आ0/001-23-5-22-19(भवन)/2021, दिनांक 22.07.2022	बागपत में (नवसृजित) पूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत टाइप-4 के 12 आवासों का निर्माण कार्य।	492.76	01.88	490.88	211.38	279.50	30.00
2	12/2019/237आ0/23-5-18-03(भवन)/2018, दिनांक 14.02.2019 एवं 62/2020/218आ0/23-5-	बागपत में (नवसृजित) पूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत टाइप-2 के 24 आवासों का	272.32	00.41	271.91	127.91	144.00	20.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	20-13(भवन)/2018टीसी, दिनांक 05.10.2020 एवं 90/2021/198आ0/23-5-21-13(भवन)/2018टीसी, दिनांक 19.08.2021 एवं 26/2022/92आ0/001-23-5-22-19(भवन)/2021, दिनांक 22.07.2022	निर्माण कार्य।						
3	42/2019/124आ0/23-5-19-13(भवन)ईजी/2018टीसी, दिनांक 31.07.2019 एवं 62/2020/218आ0/23-5-20-13(भवन)/2018टीसी, दिनांक 05.10.2020 एवं 90/2021/198आ0/23-5-21-13(भवन)/2018टीसी, दिनांक 19.08.2021 एवं 26/2022/92आ0/001-23-5-22-19(भवन)/2021, दिनांक 22.07.2022	बागपत में (नवसृजित) पूल्ड हाउसिंग योजना के अन्तर्गत टाइप-3 के 24 आवासों का निर्माण कार्य।	376.91	01.46	375.45	218.45	157.00	30.00
योग :-								**80.00**

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

(4) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये 80,00,000 (रूपये अस्सी लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4216011060303 प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पूल आवासों का निर्माण के चालू कार्य मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

संख्या:-76/2022/001-157आ0(1)-23-5-22-19भवन/2021 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
4- नोडल अधिकारी(बजट), लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
5- जिलाधिकारी बागपत।
6- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
7- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, बागपत।
10- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
11- मुख्य अभियन्ता, मेरठ क्षेत्र, लो0नि0वि0, मेरठ।
12- अधीक्षण अभियन्ता, मेरठ वृत्त, लो0नि0वि0, मेरठ।
13- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागपत।
14- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
प्रभुनाथ
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।